भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4196
जिसका उत्तर शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 2024 को दिया जाना है

एक राष्ट्र एक चुनाव

4196. एडवोकेट अदूर प्रकाश ;

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार वर्ष 2029 में लोक सभा और राज्य विधान सभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए 'एक राष्ट्र एक चुनाव' के प्रस्ताव को लागू करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों के साथ कोई परामर्श शुरू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) : सरकार ने विधेयक में निहित उपबंधों के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचनो के लिए एक राष्ट्र एक निर्वाचन के प्रस्ताव को कार्यान्यवित करने के लिए 17.12.2024 को लोकसभा में संविधान (एक सौ उनतीसवां संशोधन) विधेयक, 2024 और संघ राज्यक्षेत्र विधि (संशोधन) विधेयक, 2024 पुर:स्थापित किया है।

(ख) : सरकार ने एक साथ निर्वाचन आयोजित कराने के ढंग की जांच के लिए भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। समिति ने हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया और अपने परिणामों को अध्याय 3 के रूप में अपनी रिपोर्ट में संक्षेपित किया। समिति की रिपोर्ट एक राष्ट्र एक निर्वाचन की वेबसाइट पर https://onoe.gov.in/HLC-Report पर उपलब्ध है।

****